473

[2022] 1 एस. सी. आर 473

/

राजेन्द्र भगत बनाम.

झारखंड राज्य और ए. एन. आर. (2022 की आपराधिक अपील संख्या 2) 03 जनवरी, 2022

/

[दिनेश माहेश्वरी और विक्रम नाथ**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:एस. 498 ए-किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसे क्रूरता के अधीन करना-अपीलार्थी को धारा 498 ए के तहत दोषी ठहराना और तीन साल के लिए साधारण कारावास का अधिरोपण-कुछ साल बाद, अपीलार्थी और उसकी पत्नी ने एक समझौता किया, अपने सभी विवादों का समाधान किया और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं-उच्च न्यायालय ने समझौते पर ध्यान दिया, और सजा को पहले से ही कारावास की अवधि तक कम कर दिया, हालांकि, धारा 498 ए के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा-अपील पर कहा गया:समझौते की शर्तों पर ध्यान देते हुए जिसमें अपीलार्थी का वचन शामिल है कि वह अपने सेवा रिकॉर्ड में पत्नी को नामित करेगा; और जहां पक्षकारों को एक खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए कहा जाता है, उच्च न्यायालय को समझौते को स्वीकार करना चाहिए था और अपीलार्थी के खिलाफ आदेशों को रद्द करने के साथ सभी कार्यवाही को रद्द कर देना चाहिए था-हालांकि, उच्च न्यायालय ने ऐसा नहीं किया-न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, ऐसा मार्ग अपनाया जाता है-समझौता।बी. एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

/

/

/

(2003) 4 एससीसी 675:[2003] (2) एस. सी. आर. 1104; बिटान

सेनगुप्ता और अन्र**.** वी**.**पश्चिम बंगाल राज्य और अन्र। **(2018)**

/

18 एस**.** सी**.** सी**. 366-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[2003] (2) एससीआर **1104**

संदर्भित

पैरा **8**

(2018) 18 एस**.** सी**.** सी**. 366**

संदर्भित

पैरा **9**

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 2।

2019 ए के आपराधिक संशोधन No.910 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांकित 17.02.2021 के निर्णय और आदेश से

/

473

474

/

[2022] 1 एस सी आर।

सुश्री अनामिका घई नियाज़ी, एम. ए. नियाज़ी, कुणाल किशोर, सुश्री कीर्ति जैसवाल, सुश्री नेहमत सेठी, सुश्री तांशी अरोड़ा, कृष्ण पाल मावी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

जयंत मोहन, सुश्री आद्या श्री दत्ता, आदित्य कुमार, सुश्री मृण्मयी साहू, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का आदेश पारित किया गयाः

आदेश

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील 2019 के आपराधिक संशोधन संख्या 910 (2020 के आई. ए. संख्या 6052 के साथ) में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय , उन पक्षों के बीच समझौते पर ध्यान देने के बाद, जिन्होंने अपने वैवाहिक कलह को सुलझा लिया है और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, ने अपीलार्थी की सजा को कम करते हुए भारतीय दंड

संहिता, 1860 (आई. पी. सी.) की धारा 498-ए के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि की है।

/

/

3. वर्तमान अपील में निर्धारण की आवश्यकता वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने अपने वैवाहिक विवादों को हल करने वाले पक्षों के निपटारे पर ध्यान देने के बाद भी दोषसिद्धि के आदेश को पूरी तरह अपास्त करते हुए नहीं करने में गलती की है।शामिल छोटे प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, सभी तथ्यात्मक पहलुओं पर विस्तार आवश्यक नहीं है और केवल पृष्ठभूमि के लिए एक संक्षिप्त संदर्भ पर्याप्त होगा।

/

4. अपीलार्थी 12.09.2005 पर नाइक के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुआ।अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 का विवाह 25.05.2013 पर हुआ था।कुछ विवाद उत्पन्न होने के बाद, प्रतिवादी संख्या 2 ने दहेज की मांग, मानसिक और शारीरिक यातना आदि के आरोपों के साथ अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुलिस स्टेशन, सिसाई में 2014 की संख्या 204 वाली प्राथमिकी दर्ज की। आई. डी. 1 पर अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498-ए, 323,417,34 के अंतर्गत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था और तदनुसार आरोप विरचित किए गए थे।2014 के जी. आर. मामला संख्या 904 में मुकदमे के बाद, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गुमला ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498-ए और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 323 के अंतर्गत अपराध का दोषी ठहराया। सभी अभियुक्त व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 417,34 के अंतर्गत आरोपों से बरी कर दिया गया। अपीलार्थी को छोड़कर, अन्य सभी अभियुक्त व्यक्तियों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ दिया गया था, लेकिन अपीलार्थी को तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी।

/

/

/

5. अपीलार्थी द्वारा दायर अपील, 2019 की आपराधिक अपील संख्या 10 है, जिसे सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा 30.05.2019 पर खारिज कर दिया गया था।इसके बाद, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जो 2019 की आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 910 थी।जबकि उक्त पुनरीक्षण याचिका लंबित थी, दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। पहला भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498-ए के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के लिए अपीलार्थी को उसकी सैन्य सेवा डब्ल्यू. ई. एफ. 14.07.2020 से बर्खास्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी थी। दूसरी प्रासंगिक घटना में, 24.11.2020 पर, अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 2 ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि परिवार के सदस्यों, आम रिश्तेदारों और दोस्तों के हस्तक्षेप और सलाह से, उन्होंने समझौता किया और अपने सभी विवादों का समाधान किया।यह प्रस्तुत किया गया था कि जब अपीलकर्ता अपनी पत्नी को पूर्ण सम्मान और गरिमा के साथ रखने के आश्वासन के साथ समझौते के लिए संपर्क करता है, तो प्रस्ताव को पत्नी (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा कुछ शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया गया था, जबकि अपने वैवाहिक कर्तव्यों का निर्वहन करने का भी वचन दिया गया था।यह प्रस्तुत किया गया था कि पक्ष प्यार और स्नेह के साथ रह रहे थे और उनके बीच कोई विवाद नहीं था।इसलिए, यह संयुक्त रूप से प्रार्थना की गई कि चूंकि विवाद एक पारिवारिक विवाद था जो गलत संचार और गलतफहमी के कारण उत्पन्न हुआ था, इसलिए अब बदली हुई परिस्थितियों और पक्षों की पारिवारिक स्थिति को देखते हुए पुनरीक्षण याचिका का निपटारा किया जा सकता है।यह आवेदन 2020 के आई. ए. सं. 6052 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

/

/

/

/

6. उच्च न्यायालय ने मामले को आई. डी. 1 पर विचार के लिए लिया और पक्षकारों की इस दलील पर ध्यान देने के बाद कि उन्होंने वैवाहिक कलह का समाधान किया था और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन का आनंद लेते हुए एक साथ रह रहे थे, वास्तव में कहा कि कार्यवाही के जारी रहने से वैमनस्य पैदा हो सकता है, लेकिन फिर, केवल अपीलार्थी द्वारा अपनी दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए सजा को कारावास की अवधि में बदलने का आदेश दिया।उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और निर्देश दियाः

/

“3. सुना है।यह ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता-पति और पत्नी-विरोधी पक्ष संख्या 02 ने सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता किया है और भौतिक कलह का समाधान किया है और एक साथ रह रहे हैं और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया

जा सकता है कि कार्यवाही के जारी रहने से वैवाहिक जीवन में कड़वाहट और वैमनस्य पैदा हो सकता है जिससे पति और पत्नी के बीच झगड़ा और कटुता हो सकती है।

/

/

476

/

[2022] 1 एस सी आर।

/

इस प्रकार, न्याय के हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों पक्ष एक खुशहाल वैवाहिक जीवन का आनंद लेते रहें, विद्वान सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा 2019 की आपराधिक अपील संख्या 10 में पारित 2019 का निर्णय और विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गुमला की न्यायालय द्वारा 2014 के जी. आर. मामले संख्या 904 (2018 का टी. आर. संख्या 185) में पारित 2019 का निर्णय , दंडादेश के संशोधन के साथ पुष्टि की जाती है। याचिकाकर्ता को पहले से चली आ रही हिरासत की अवधि की सजा सुनाई जाती है।

/

4. परिणामस्वरूप, 2020 का आई. ए. सं. 6052, इसके द्वारा, सजा के संशोधन के साथ निपटाया जाता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, तदनुसार आपराधिक संशोधन, इसके द्वारा निपटाया जाता है। "

/

7. मामले की समग्रता की जांच करने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय , पक्षों द्वारा दायर आवेदन के साथ पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करते हुए, इस बात पर विचार करने के लिए नहीं रुका कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498-ए के अंतर्गत अपराध के अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बनाए रखना न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित नहीं करेगा और इस तरह की दोषसिद्धि बनाए रखने और अपीलार्थी की नौकरी खोने के साथ, परिवार फिर से वित्तीय संकट में पड़ जाएगा जो अंततः पक्षों के सद्भाव और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए प्रतिकूल हो सकता है।अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 दोनों की ओर से पेश विद्वान वकील ने अपना रुख दोहराया है कि उन्होंने अपने विवादों का समाधान कर लिया है और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हुए एक साथ रह रहे हैं।

/

/

8. भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498-ए के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, विवादों के प्रामाणिक समाधान की स्थिति में उच्च न्यायालय के अपेक्षित दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा बी. एस. जोशी के मामले में विधिवत उजागर किया गया था।

और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्यः(2003) 4 एससीसी 675,

जहाँ इस न्यायालय ने वैवाहिक विवादों के वास्तविक निपटारे को प्रोत्साहित करने के लिए न्यायालय के कर्तव्य को रेखांकित किया है और निम्नानुसार कहा हैः- “12. इस तरह के वैवाहिक मामलों में विशेष विशेषताएं स्पष्ट हैं।वैवाहिक विवादों के वास्तविक निपटान को प्रोत्साहित करना न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है।

/

/

13. इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां, हालांकि थोड़े अलग संदर्भ में, जी. वी. राव बनाम एल. एच. वी. प्रसाद, [(2000) 3 एस. सी. सी. 693:2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 733] अदालतों द्वारा वैवाहिक विवाद को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दृष्टिकोण निर्धारित करने के लिए बहुत उपयुक्त हैं।ऐसा कहा जाता था कि हाल के दिनों में वैवाहिक विवादों का प्रकोप हुआ है।विवाह एक पवित्र समारोह है, मुख्य ए

/

जिसका उद्देश्य युवा जोड़े को जीवन में बसने और शांति से रहने में सक्षम बनाना है।लेकिन छोटी-छोटी वैवाहिक झड़पें अचानक सामने आती हैं जो अक्सर गंभीर अनुपात धारण करती हैं जिसके परिणामस्वरूप जघन्य अपराध होते हैं जिसमें परिवार के बुजुर्ग भी शामिल होते हैं जिसके परिणामस्वरूप जो लोग परामर्श दे सकते थे और सुलह कर सकते थे, वे आपराधिक मामले में आरोपी के रूप में प्रस्तुत किए जाने पर असहाय हो जाते हैं।वैवाहिक मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित नहीं करने के लिए कई अन्य कारण हैं जिनका यहां उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है ताकि पक्षकार अपने चूक पर विचार कर सकें और विधि की न्यायालय में लड़ने के बजाय आपसी समझौते से अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से समाप्त कर सकें, जहां इसे समाप्त करने में वर्षों और वर्षों का समय लगता है और उस प्रक्रिया में पक्षकार विभिन्न न्यायालय ों में अपने "मामलों" का पीछा करने में अपने "युवा" दिनों को खो देते हैं।14. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दंड संहिता, 1860 में धारा 498-ए युक्त अध्याय XX-A को लागू करने का उद्देश्य किसी महिला को उसके पति या उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा यातना से रोकना था।धारा 498-ए को पति और उसके रिश्तेदारों को दंडित करने के उद्देश्य से जोड़ा गया था जो दहेज

की गैरकानूनी मांगों को पूरा करने के लिए पत्नी को उसके रिश्तेदारों को मजबूर करने के लिए परेशान करते हैं या प्रताड़ित करते हैं।अति-तकनीकी दृष्टिकोण प्रतिकूल होगा और महिलाओं के हितों के खिलाफ और उस उद्देश्य के खिलाफ कार्य करेगा जिसके लिए यह प्रावधान जोड़ा गया था।इस बात की पूरी संभावना है कि न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यवाही को रद्द करने के लिए अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग न करने से महिलाओं को पहले बसने से रोका जा सकेगा।यह दंड संहिता, 1860 के अध्याय XX-A का उद्देश्य नहीं है।

/

/

/

/

15. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही या प्राथमिकी या शिकायत को रद्द कर सकता है और संहिता की धारा 320 संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों को सीमित या प्रभावित नहीं करती है।

/

16. पूर्वगामी कारणों से, हम आक्षेपित निर्णय को दरकिनार करते हैं और अपील की अनुमति देते हैं और उपरोक्त प्राथमिकी को रद्द करते हैं। "9. इसी दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा मामले में दोहराया गया है

/

बीतन सेनगुप्ता और अन्र बनामपश्चिम बंगाल और अन्र राज्यः(2018) 18

एससीसी 366। 10.मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, और उच्च न्यायालय के समक्ष दायर आवेदन में बताए गए समझौते की शर्तों को ध्यान में रखते हुए जिसमें अपीलार्थी का वचन शामिल है कि वह होगा

/

प्रत्यर्थी संख्या 2 को अपने सेवा रिकॉर्ड में नामित के रूप में नामित करना; और जहां पक्षकारों के बारे में कहा जाता है कि वे एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि उच्च न्यायालय को समझौते को स्वीकार करना चाहिए था और अपीलार्थी के खिलाफ आदेशों को रद्द करने के साथ सभी कार्यवाही को रद्द कर देना चाहिए था।उच्च न्यायालय ने ऐसा नहीं किया है, हम इस मार्ग को अपनाने के लिए इच्छुक हैं ताकि न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित किया जा सके।

/

11. तदनुसार, इस अपील की अनुज्ञात जाती है और 2019 के आपराधिक संशोधन संख्या 910 में उच्च न्यायालय के समक्ष 2020 की आई. ए. संख्या 6052 को स्थानांतरित करने की अनुमति देते हुए, 2014 की उक्त एफ. आई. आर. संख्या 204 से उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाहियों को अपीलार्थी के लिए रद्द कर दिया जाता है।जाहिर है, अपीलार्थी के दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।

/

निधि जैन

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/

/

/